



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/88/04/2023
Ref No: IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/ 88/04/2023

24 अप्रैल, 2023
24st Apr, 2023

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती और आईआईबी
All Insurers, Insurance Intermediaries and IIB

विषय: आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश, 2023.
SUB: IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2023.

- आईआरडीएआई ने परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/आईटी/जीडीएल/विविध/082/04/2017 दिनांक 07 अप्रैल 2017 के द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिन्हें बाद में परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/184/09/2022 दिनांक 02 सितंबर 2022 के अनुसार सभी बीमा मध्यवर्तियों के लिए लागू किया गया है।
IRDAI vide Circular ref: IRDAI/IT/GDL/MISC/082/04/2017 dated 07th Apr, 2017 has issued guidelines on Information and Cyber Security for Insurers, which were later extended to all Insurance Intermediaries vide Circular ref: IRDA/GA&HR/GLD/MISC/184/09/2022 dated 02nd Sep, 2022.
- व्यापक तौर पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण तथा साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं में समकालीन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऐसी उभरती हुई साइबर आशंकाओं से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा एवं संबंधित अभिशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में बीमा उद्योग को समर्थ बनाने के लिए इसके द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।
Considering the wide-spread adoption of digital technologies and the concurrent increase in cyber security incidents, the revised Guidelines are hereby issued in order to enable the insurance industry to strengthen their defenses as well as related governance mechanism to deal with such emerging cyber threats.
- उक्त आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश, 2023 अनुबंध - क के रूप में संलग्न हैं।
The IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2023 are attached as Annexure – A.
- एफआरबी सहित सभी बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती जिनमें दलाल, कारपोरेट एजेंट, वेब संग्राहक, टीपीए, आईएमएफ, बीमा रिपोजिटरियाँ, आईएसएनपी, कारपोरेट सर्वेक्षक, एमआईएसपी, सीएससी शामिल हैं तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। वे संस्थाएँ जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सुरक्षा संपरीक्षण पहले ही पूरा किया है, इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अगले वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित करेंगी।

All Insurers including FRBs, Insurance Intermediaries covering Brokers, Corporate Agents, Web Aggregators, TPAs, IMFs, Insurance Repositories, ISNP, Corporate Surveyors, MISPs, CSCs and Insurance Information Bureau of India (IIB) shall adhere to the said Guidelines. Those entities who have already completed security audit for FY 2022-23 shall ensure compliance with these guidelines from next financial year

5. आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/आईटी/जीडीएल/विविध/082/04/2017 दिनांक 07 अप्रैल 2017, परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/आईटी/सीआईआर/विविध/301/12/2020 दिनांक 29 दिसंबर 2020, परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीएलडी/विविध/184/09/2022 दिनांक 02 सितंबर 2022 तथा परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/211/10/2022 दिनांक 11.10.2022 इन दिशानिर्देशों के द्वारा अधिक्रमित किये गये हैं।

The IRDAI Circular ref: IRDAI/IT/GDL/MISC/082/04/2017 dated 07th Apr, 2017, Circular ref: IRDA/IT/CIR/MISC/301/12/2020 dated 29th Dec, 2020, Circular ref: IRDA/GA&HR/GLD/MISC/184/09/2022 dated 02nd Sep, 2022 and Circular ref: IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/211/10/2022 dated 11.10.2022 are superseded by these guidelines.



(पी. एस. जगन्नाथम/ P.S. Jagannatham)

मुख्य महाप्रबंधक (सा.प्र. & मा.सं.)/ Chief General Manager (GA & HR)